रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1405] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934

No. 1405] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SRAVANA 4, 1934

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

का.आ. 1704(अ).—जबकि, संयुक्त राष्ट्र का विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति अभिसमय संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1946 को अपनाया गया और उक्त अभिसमय के अनुच्छेद V की धारा 18 के खंड (ख) में यह व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन्हें भुगतान किए जाने वाले वेतन तथा परिलब्धियों पर कराधान से छूट प्राप्त होगी;

और जबकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केन्द्र, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको जो मकई तथा गेहूं पर अनुसंधान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड शामिल हैं, के बीच 15 मार्च, 1974 को एक करार संपन्न हुआ था और इसके तहत सहकारी उपक्रमों के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ इसके अनुच्छेद V, खंड (घ) में यह व्यवस्था है कि इस करार के तहत भारत में नियुक्त प्रवासी स्टाफ सदस्यों के मामले में परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें भारतीय आयकर के भुगतान से मुक्त रखा जाए;

और जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, लॉस विनॉस, द फिलीपींस, जो चावल संबंधी अनुसंधान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड शामिल है, के बीच 15 मार्च, 1974 को एक करार संपन्न हुआ था और इसके तहत सहकारी उपक्रमों को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ इसके अनुच्छेद V, खंड (घ) में यह व्यवस्था है कि इस करार के तहत भारत में नियुक्त प्रवासी स्टाफ सदस्यों के मामले में परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें भारतीय आयकर के भुगतान से मुक्त रखा जाए;

और जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र, अपार्टन्डो, 5969, लीमा, पेरू, जो आलू संबंधी अनुसंधान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड शामिल है, के बीच 17 नवम्बर, 1975 को एक करार संपन्न हुआ था और इसके तहत सहकारी उपक्रमों को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ इसके अनुच्छेद V, खंड (घ) में यह व्यवस्था है कि इस करार के तहत भारत में नियुक्त प्रवासी स्टाफ सदस्यों के मामले में परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें भारतीय आयकर के भुगतान से मुक्त रखा जाए;

और जबकि, उक्त अभिसमय को लागू करने के प्रयोजनार्थ संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार व उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) अधिनियमित किया गया ताकि संयुक्त राष्ट्र तथा इसके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को कतिपय विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्रदान की जा सकें और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उनके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को इसी प्रकार के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपबंधों में व्यवस्था है कि उक्त अभिसमय भारत के कानून के समान होंगे और उक्त अभिसमय के उपबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची में दिए गए हैं;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों में व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी करके इस बाबत घोषणा कर सकती है कि उक्त अनुसूची अभिनिर्धारित उपबंध, ऐसे संशोधनों के अध्यधीन जो वह अंतर्राष्ट्रीय करार, अभिसमय अथवा अन्य व्यवस्था को लागू करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित अथवा उचित समझे, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा इन पर भारत में प्रवृत कानून लागू होंगे ;

और जबकि, उक्त तीनों करारों के अनुसरण में यह अपेक्षित है कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं सुधार केन्द्र, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको,

अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, लॉस बिनॉस, द फिलीपींस और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, पेरू के प्रवासी स्टाफ सदस्य, जो भारत में नियुक्त किए गए हों, को उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद V की धारा 18(ख) के उपबंधों में निहित विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों के समान ही भारत में विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का लाभ दिया जाए;

अत: अब, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद V की धारा 18(ख) के उपबंध अंतर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं सुधार केन्द्र, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, लॉस बिनॉस, द फिलीपींस और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, पेरू के प्रवासी स्टाफ सदस्यों, जो भारत में नियुक्त किए गए हों, पर आवश्यक परिवर्तनों सहित उस सीमा तक लागू होंगे कि ऐसे प्रवासी कर्मचारियों को उन्हें भुगतान किए जाने वाले वेतन तथा परिलब्धियों पर आयकर भुगतान से छूट प्राप्त हो जाए ।

[फा. सं. डी-II/451/16(8)/2012]

रुचिरा कम्बोज, मुख्य प्रोतोकॉल, विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

S.O. 1704(E).—Whereas, the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations was adopted by the General Assembly of the United Nations on 13th February, 1946, and clause (b) of Section 18 of Article V of the said Convention provides that officials of the United Nations shall be exempt from, taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations;

And whereas, an Agreement was made on 15th March, 1974 between the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi and the International Maize and Wheat Improvement Centre, Mexico City, Mexico, an international organization for scientific and technical cooperation in research on maize and wheat having an international Board of Trustees, and in order to facilitate the implementation of the cooperative undertakings under it, its Article V, in clause (d), provided that in case of expatriate staff members assigned to India under this Agreement, the Council will ensure that they will not be subject to payment of Indian income-tax;

And whereas, an Agreement was made on 15th March, 1974 between the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi and the International Rice Research Institute, Los Benos, The Phillipines, an international organization for scientific and technical cooperation in research on rice having an international Board of Trustees, and in order to facilitate the implementation of the cooperative undertakings under this Agreement, its Article V, in clause (d), provided that in case of expatriate staff members assigned to India under this Agreement, the Council will ensure that they will not be subject to payment of Indian income-tax;

And whereas, an Agreement was made on 17th November, 1975 between the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi and the International Potato Centre, Apartndo, 5969, Lima, Peru, an international organization for scientific and technical co-operation in research on potato improvement having international Board of Trustees, and in order to facilitate the implementation of the cooperative undertakings under this Agreement, its Article V, in clause (d), provided that in case of expatriate staff members assigned to India under this Agreement, the Council will ensure that they will not be subject to payment of Indian income-tax;

And whereas, the United Nations, (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) was enacted to give effect to the said Convention to confer on the United Nations and its representatives and officers certain privileges and immunities and to enable similar privileges and immunities to be enjoyed by other international organizations and their representatives and officials;

And whereas, the provisions of Section 2 of the said Act provide that the said Convention shall have the force of law in India and the provisions of the said Convention are provided in the Schedule to the said Act;

And whereas, the provisions of Section 3 of the said Act provide that the Central Government may, by notification, declare that provisions set out in the said Schedule shall, subject to such modifications as it may consider necessary or expedient for giving effect to the international agreement, convention or other instrument, apply mutatis mutandis to the international organization specified in the notification and shall in such application have the force of law in India;

And whereas, in pursuance of the said three Agreements, it is necessary to accord to the expatriate staff members of International Maize and Wheat Improvement Centre, Mexico City, Mexico, International Rice Research Institute, Los Benos, The Phillipines, and the International Potato Research Centre, Peru, which are assigned to India, privileges and immunities in India similar to those contained in the provisions of Section 18(b) of Article V of the Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act 1947, the Central Government hereby declares that the provisions of Section 18(b) of Article V of the Schedule to the said Act shall apply mutatis mutandis to the expatriate staff members of International Maize and Wheat Improvement Centre, Mexico City, Mexico, International Rice Research Institute, Los Benos, The Phillipines, and the International Potato Research Centre, Peru, which are assigned to India, to the extent that such expatriate staff will not be subject to payment of income-tax on the salaries and emoluments paid to them.

[F. No. D-II/451/16(8)/2012]

RUCHIRA KAMBOJ, Chief of Protocol, MEA

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.